निगरानी/टीए/7267/2022/अलवर
कमरूदीन बनाम सुब्बाखान

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29-1-26	**एकल पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** उपस्थित :– श्री वैभवकृष्ण पारीक, अभिभाषक प्रार्थीगण। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। **आदेश** 1. यह निगरानी भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर द्वारा अपील संख्या 109/2022 में पारित आदेश दिनांक 28–10–2022 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 सपठित धारा 221 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 व 188 के अन्तर्गत एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ वास जिला अलवर के समक्ष प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 20.04.2022 से वादी का वाद डिक्री कर दिया जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण ने एक अपील मय धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के न्यायालय में प्रस्तुत की जिस पर अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 28.10.2022 द्वारा अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए विवादित आराजी के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 28–10–2022	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध अंतरिम स्थगन जारी कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि अपीलीय न्यायालय में अप्रार्थीगण द्वारा धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ मियाद बाहर अपील पेश की गई अपीलीय न्यायालय ने अपील के साथ प्रस्तुत धारा 96 के प्रार्थना पत्र पर अपने आदेश में किसी प्रकार का निष्कर्ष अंकित नहीं किया। अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की है। अपीलीय प्राधिकारी को अंतरिम स्थगन जारी करने से पूर्व धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पहले निस्तारण करना चाहिये था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। अपील में किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को नियमानुसार पहले निस्तारित किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण परीक्षण न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय का आदेश न्याय नियम एवं विधि के विपरीत होने के कारण निरस्त किया जावे तथा निगरानी स्वीकार की जावे। प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने न्यायिक दृष्टांत 2019(1) आरआरटी 221, 2016(2) आरआरटी 918, आरबीजे 2021 पेज 1 प्रस्तुत किये जिनका ससम्मान अवलोकन व अध्ययन किया गया। 4. प्रार्थीगण के अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। 5. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थीगण विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। भू–प्रबंध एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने अपने आदेश दिनांक 28–10–2022 द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध अंतरिम स्थगन जारी कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–4–2022 के विरूद्ध अप्रार्थी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील मय धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र अनिर्णित रखते हुये अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता की बहस सुनने के पश्चात धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का निष्कर्ष अंकित नहीं किया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तथा अंतरिम स्थगन आदेश द्वारा प्रार्थीगण को पाबंद कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। अपीलीय प्राधिकारी से अपेक्षित था कि अपील में किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का निस्तारण करते, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। अतः धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर कोई निष्कर्ष अंकित किये बिना अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 28.10.2022 पारित करने में अपीलीय न्यायालय ने विधिक त्रुटि कारित की है। अतः निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य तथा अपीलीय न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 28.10.2022 निरस्त किये जाने योग्य है। 6 परिणामतः निगरानी स्वीकार की जाकर भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 28–10–2022 को निरस्त किया जाता है। भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त विवेचन के अनुसार सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 96 सीपसी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करें। उभय पक्ष अपीलीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के समक्ष दिनांक 24.02.2026 को अपील में वास्ते अग्रिम कार्यवाहीं आवश्यक रूपसे उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख मय आदेश प्रति शीध्र लौटाया जावे। पत्रावली बाद फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मदनलाल नेहरा) सदस्य	